



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सगीर उर्फ गुलाब पुत्र श्री बाबू अंसार, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सगीर उर्फ गुलाब पुत्र श्री बाबू अंसार, जो मो0 बुजकसावान, थाना-कोतवाली, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.02.2017 को वादी की नाबालिग 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर धनगद्दी (नेपाल) ले गया तथा पीड़िता के साथ मारपीट व जबरन बलात्कार करने की घटना कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45/2017, भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 23.11.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 माह 14 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 04 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध जो कि व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर सम्पूर्ण समाज को प्रभावित किये जाने, बन्दी एक शांतिर किस्म का अपराधी है जिससे भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का कोई सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सगीर उर्फ गुलाब पुत्र श्री बाबू अंसार की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.08.2025 तक बन्दी की आयु 32 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 माह 14 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 04 माह, 26 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति नाबालिग 15 वर्षीय लड़की के साथ जबरन बलात्कार किये जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सगीर उर्फ गुलाब (बन्दी संख्या-264/2023) पुत्र श्री बाबू अंसार, निवासी जनपद- पीलीभीत की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1395/2026/461(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
- 2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।